(5)

**अनुस्मारक**

**पत्र संख्या- स्था0-6 समा0क0- को0/ना0को0 पत्र /2021-22/** 2404 **/वाणिज्यकर**

**कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश,**
**(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)**
**लखनऊ//दिनाँक-** 06 **सितम्बर, 2021**

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान),
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

महोदय,

अपर मुख्य सचिव कार्मिक विभाग उ0प्र0 के अर्द्धशासकीय पत्र सं0 683 का-2/2021 / कार्मिक अनुभाग-2 दिनांक 09-08-2021 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0 2110 दि0 19-08-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि कोविड/नॉन कोविड से मृत अधिकारियों / कर्मचारियों की नियुक्ति एवं समस्त देयकों के भुगतान के संबंध में विभागों द्वारा मृतक कर्मीवार समीक्षा करते हुए यह सूचना प्राप्त कर ली जायें कि किन कारणों से प्रकरण लम्बित है तथा यह भी समीक्षा कर ली जायें कि प्रकरणों के लम्बित होनें के कारण औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं। साथ ही लम्बित प्रकरणों के निस्तारण / निर्णय शीघ्र सुनिश्चित करायें जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जोन से सम्बन्धित मृत अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्मीवार **लम्बित अनुकम्पा नियुक्ति एवं लम्बित समस्त देयकों** के भुगतान की समीक्षा करते हुए कर्मचारीवार स्पष्ट आख्या / रिपोर्ट यथाशीघ्र / तत्काल संलग्न प्रारुप में मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे शासन को **अद्यतन स्थिति** से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक:: उपरोक्तानुसार।

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**प्रतिलिपि, पृष्ठांकन, पत्र सं0 व दिनाँक उक्त।**

1- ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को **विभागीय वेबसाइट** पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

atul tej 437

| | दिनांक 01.04.2020 से वाणिज्य कर विभाग में दिवंगत अधिकारियों के देयकों की स्थिति | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जोन | जनपद | कोविड / नॉन कोविड | कमांक | अधिकारी का नाम/पदनाम | श्रेणी/संवर्ग | तैनाती का स्थान व कार्यालय | मृत्यु की तिथि | देयकों के भुगतान की स्थिति (रू0 लाख में) | | | | | नियुक्ति | अभियुक्ति |
| | | | | | | | | लीव इनकैशमेंट | जी0पी0एफ0 भुगतान | जी0आई0एस0 | ग्रेच्यूटी | पेंशन | | |